

क्रमांक : राशिकबो/जय/फा-12(PD)/20/7824-8016 दिनांक : 9/10/20

अत्यावश्यक

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति- (समस्त)

विषय : Pripaymanager पर शिक्षाकर्मियों के मानदेय बिलों के क्रम में आवश्यक निर्देश।
महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षाकर्मियों के मानदेय बिल डीडीओ को फॉरवर्ड करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखे-

1. प्रायः यह पाया गया है कि सब डीडीओ द्वारा शिक्षाकर्मियों के मानदेय बिल बिना जॉच के ही डीडीओ को फॉरवर्ड कर दिये जाते हैं। अतः बिल फॉरवर्ड करने से पूर्व मानदेय एवं ईपीएफ कटौती की गणना एवं बिल के Inner एवं Shedules का मिलान Outer से करने के पश्चात् ही बिल फॉरवर्ड करावें।
2. प्रायः यह पाया गया है कि कई शिक्षाकर्मियों के मानदेय के Supplementary Bill डीडीओ को बिना किसी सूचना के फॉरवर्ड कर दिये जाते हैं। अतः विलम्ब से बिल भिजवाये जाने का कारण लिखित में स्पष्ट करने पर ही Supplementary Bill का भुगतान किया जाना संभव होगा।
3. यह आवश्यक रूप से ध्यान रहे कि चालू वित्तीय वर्ष के मानदेय बिल उसी वित्तीय वर्ष में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पश्चात् पूर्व वित्तीय वर्ष हेतु जारी बजट लैप्स हो जाने के कारण भुगतान नहीं हो पायेगा जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।
4. ब्लॉक में कार्यरत शिक्षाकर्मियों के वेतन बिल एवं भुगतान संबंधी जानकारी हेतु Pripaymanager पर बिल का स्टेटस जॉच लें एवं किसी प्रकार की समस्या होने पर बोर्ड से दूरभाष पर केवल सबडीडीओ ही सम्पर्क करें साथही शिक्षाकर्मियों को लिखित में पाबन्द करें कि इस बाबत बोर्ड में अनावश्यक फोन नहीं करें।

www.rajteachers.com

8/10/2020
उपनिदेशक
राजस्थान शिक्षाकर्मि बोर्ड
जयपुर
डीडीओ कोड-102406